न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

अपील संख्या 53/2018

1. करणीसिहं पुत्र श्री मोहन सिहं उर्फ मोहनलाल सिंह जाति राजपूत निवासी हेतमसर तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी डाबड़ी धीरसिहं तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. शिवचन्द पुत्र मंगलाराम जाति जांगिड़ निवासी हेतमसर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. नायब तहसीलदार मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्स

——

प्रथम अपील अ.धारा 75 राज. भु. राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 11.04.2018 बाबत नामान्तरकरण संख्या 639 ग्राम हेतमसर

——

उपस्थित

1. श्री राजेश पुनियां एडवोकेट, अपीलांट की ओर से।
2. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 24.07.2019

उक्त विषयक अपील विद्वान नायब तहसीलदार मण्डावा के आदेश दिनांक 11.04.2018 नामान्तरकरण संख्या 639 वाके ग्राम हेतमसर के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट्स के अनुसार निम्नानुसार है :– नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 639 ग्राम हेतमसर के संबंध में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली के होने से खारीज होने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांकित 20.07.2016 में विवादित जमीन के संबंध में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के न्यायालय में रेगुलर दावा विचाराधीन है। विचाराधीन वाद के दौरान विवादित जमीन के संबंध में कोई भी नामान्तरकरण किसी भी आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी नामान्तरकरण किसी भी आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोई भी नामान्तरकरण विचाराधीन वाद के दौरान अगर स्वीकृत होता है तो दावे की नेचर पर प्रभाव पड़ेगा। अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा को विवादित जमीन के संबंध में वाद पत्र विचाराधीन है। इस जानकारी के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 639 के संबंध में आलौच्य आदेश दिनांक 11.04.2018 गलत रूप से पारित किया है तथा नामान्तरकरण संख्या 639 स्वीकृत करते

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

समय अपीलान्ट को नहीं सुना। विवादित जमीन का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का गलत रूप से क्रय शुदा जमीन पर कब्जा काश्त नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 639 स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के कब्जे काश्त की कोई भौतिक जांच नहीं की। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा के द्वारा नामान्तकरण संख्या 639 वाके ग्राम हेतमसर के सम्बन्ध में पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 11.04.2018 अपास्त किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश विधिसम्मत नही है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 639 आदेश दिनांक 11.04.2018 नियम विरूद्ध है क्योंकि उक्त आदेश के दौरान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के न्यायालय में वाद विचाराधीन चल रहा था। अदालत मातहत ने उक्त वाद की जानकारी के बावजूद नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो विधि विरुद्ध है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 639 पर पारित आदेश दिनांक 11.04.2018 निरस्त फरमाया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान दस्तावेज किता 1 पेश करते हुये वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां विचाराधीन वाद करणीसिहं बनाम शिवचन्द वगैरह में आदेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा स्थगन आदेश को अपास्त किया जा चुका था। उक्त आदेश के बाद अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार विक्रय पत्र के अनुरूप नामान्तरकरण दर्ज किया है। आदेश दिनांक 11.04.2018 के दौरान उक्त विवादित भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अदालत मातहत द्वारा विधि अनुसार आदेश दिनांक 11.04.2018 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण स0 639 पर दिनांक 11.04.2018 को आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट् की अपील में कोई फोर्स नही है, खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि की बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां विचाराधीन वाद करणी सिहं बनाम शिवचन्द वगैरह में आदेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त किया जा चुका था। उक्त आदेश के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 639 पर आदेश दिनांक 11.04.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत् है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति में स्थगन की बाबत अलग से कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू